अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त, रॉची
विविध वाद सं० 27 आर० 15/2022–23

09
22.11.2023

महाराज कुमार संतोष लाल नाथ शाहदेव पिता स्व० महाराज अशेश्वर लाल नाथ शाहदेव निवासी ग्राम बेड़ो, थाना बेड़ो, जिला रॉची

द्वारा पावर ऑफ एर्टोनी महेश गोप पिता स्व० बिशु गोप, निवासी ग्राम बेड़ो, थाना बेड़ो, जिला रॉची ..... प्रार्थी

बनाम

गजेन्द्र सिंह पिता त्रिलोकी सिंह निवासी ग्राम बेड़ो, थाना बेड़ो, जिला रॉची ..... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई प्रार्थी के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 के अन्तर्गत दायर आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है। प्रार्थी ने मौजा बेड़ो, थाना सं० 76, जिला रॉची के खाता सं० 85, प्लॉट सं० 1835 रकबा 10 डिसमिल भूमि पर निर्मित मकान से विपक्षी को बेदखल करते हुए उसका दखल प्रार्थी के पक्ष मे बहाल करने का प्रार्थना किया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – मौजा बेड़ो, थाना सं० 76, जिला रॉची के खाता सं० 85, प्लॉट सं० 1835 रकबा 10 डिसमिल भूमि पर प्रार्थी को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। उक्त सम्पत्ति का दखल देहनी प्रार्थी की मॉ इन्दु देवी को स्वत्व वाद सं० 10/1981 मे उनके पक्ष मे पारित डिक्री के आलोक मे माननीय सब–जज रॉची के द्वारा इजराय वाद सं० 30/1985 के द्वारा दिनांक 22.08.1992 को प्रदान किया गया है। उक्त वाद प्रार्थी की मॉ इन्दु देवी के द्वारा दिलीप मुखर्जी के खिलाफ दायर किया गया था। उपरोक्त भूमि के स्वत्व एवं हित की घोषणा प्रार्थी के पक्ष मे सक्षम न्यायालय के द्वारा किया गया है। उपरोक्त इन्दु देवी अपने पीछे प्रार्थी छोड़ कर स्वर्गवास हो गये। उनके मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी उक्त सम्पत्ति पर दखलकार हुए।

सितंबर 2021 मे प्रार्थी के गैर हाजरी मे विपक्षी के द्वारा प्रार्थी के उपरोक्त सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इस संदर्भ मे प्रार्थी के एर्टोनी ने दिनांक 24.09.2021 को थाना प्रभारी, बेड़ो के समक्ष लिखित

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सूचना प्रदान किया, परन्तु पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नही किया गया।

विपक्षी को प्रश्नगत भूमि पर कोई स्वत्वाधिकार प्राप्त नही है तथा उन्होने प्रार्थी को उनके उपरोक्त भूमि से जबरन बेदखल कर दिया है एवं यदि उक्त भूमि का दखल प्रार्थी के पक्ष मे बहाल नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

विपक्षी श्रीमती छोबी मुखर्जी पति दिलीप मुखर्जी द्वारा मौजा बेड़ो, थाना सं० 76, जिला रॉची के खाता सं० 85, प्लॉट सं० 1835 रकबा 10 डिसमिल भूमि पर निर्मित मकान मे रहते है। श्रीमती छोबी मुखर्जी विपक्षी के पूर्व परिचित है तथा उनके अनुमति से वे प्रश्नगत सम्पत्ति पर दखलकार चले आ रहे है।

मौजा बेड़ो, थाना सं० 76, जिला रॉची के खाता सं० 85, प्लॉट सं० 1835 रकबा 10 डिसमिल भूमि आर० एस० खतियान मे गैर मजरूआ दर्ज है। श्रीमति छोबी मुखर्जी भूमि हीन थी। उनके नाम से वर्ष 1978 ई० में मुखिया एवं हल्का कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का बासगित पर्चा निर्गत किया गया था। उनके पक्ष मे निर्गत बासगित पर्चा के आधार पर छोबी मुखर्जी वर्ष 1978 ई० में घर बना करके सपरिवार रहने लगी थी। प्रार्थी का दावा वर्ष 1992 ई० मे प्राप्त दखल दहानी से संबंधित है, परन्तु जानकारी के अभाव में छोबी मुखर्जी कोर्ट में हाजिर नही हुई एवं प्रार्थी के द्वारा उनके खिलाफ एकपक्षीय डिग्री प्राप्त की वर्ष 1992 ई० मे इनलोगों के द्वारा उक्त घर पर माननीय न्यायालय के माध्यम से कब्जा दिखाया जा रहा है, जो गलत है क्योंकि उक्त अवधि के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० सं० 225/1998 (आर०) मे अॅचलाधिकारी बेड़ो को छोबी मुखर्जी के पक्ष मे मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया हैं। प्रार्थी के द्वारा दावा किया गया है कि दो वर्ष पूर्व विपक्षी ने प्रश्नगत सम्पत्ति का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया है, जो असत्य है। छोबी मुखर्जी के नाम से निर्गत होने वाला बिजली बिल इत्यादि प्रमाणित करते है कि दो वर्ष पूर्व भी छोबी मुखर्जी को प्रश्नगत सम्पत्ति पर दखल प्राप्त था।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि मौजा बेड़ो, थाना सं० 76, जिला रॉची के खाता सं० 85, प्लॉट सं० 1835 रकबा 10 डिसमिल भूमि की प्रकृति आर० एस० खतियान के अनुसार गैर मजरूआ है। छोटानगापुर का तकारी अधिनियम की धारा 71 के अनुसार यदि कोई काश्तकार धारा 68 के उल्लंघन में अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग में बेदखल कर दिया जाय तो वह ऐसी बेदखली की तारीख से एक वर्ष (अथवा यदि वह अभिभोगी तो तीन वर्ष) की कालावधि के भीतर ऐसी काश्तकारी या प्रभाग के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिये जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन पेश कर सकेगा और उपायुक्त, यदि उचित रेखाल हो समझे तो सरकारी जाँच करने के बाद उसे विहित रीति से कब्जे में प्रतिस्थापित कर देगा, परन्तु प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि के रैयती करण संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी इस तथ्य को प्रमाणित करने मे विफल रहे है कि उक्त भूमि पर उनको काश्तकारी हक प्राप्त है या वे उक्त भूमि के अधिभोगी रैयत है, अतः वे धारा 71 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के द्वारा छो० का० अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन संधारणीय नही है एवं खारिज किया जाता है। अभिलेख के आवलोकन से विदित होता है कि स्वयं विपक्षी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि छोबी मुखर्जी भूमिहीन थी एवं उन्हे प्रश्नगत सम्पत्ति सरकार के द्वारा वासगीता पर्चा निर्गत किया गया है। विपक्षी के द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त भूमि यदि छोबी मुखर्जी को वासगीता पर्चा दिया गया था, तो वे उसपर किस हैसियत से दखलकार चले आ रहे है। उनके द्वारा उपरोक्त भूमि पर वैधानिक तौर पर दखलकार रहने या हस्तांतरण से संबंधी कोई भी दस्तावेज समर्पित नही किया गया है। यदि उक्त को भूमि सरकार के द्वारा भूमिहीन को प्रदान किया गया है, तो वह हस्तांतरणीय नही है एवं यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर उक्त भूमि पर दखलकार है एवं बंदोबस्तधारी/पर्चाधारी को उक्त सम्पत्ति की आवश्यकता नही है या उसने बंदोबस्त के शर्त्तो के विपरित भूमि का अवैध हस्तांतरण कर दिया है, तो वैसे बंदोबस्त को रद्द करते हुए, सम्पत्ति का दखल सरकार वापस ले सकती है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ है एवं Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act के गैरमजरूआ भूमि का बासगीत पर्चा निर्गत	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

नही हो सकता है एवं यदि ऐसा हुआ है तो वह कानुन की नजर में अवैध है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त सम्पत्ति का दखल सरकार के द्वारा वापस लेना उचित प्रतीत होता है। अतः अंचल अधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत सम्पत्ति का दखल वापस लेकर पर्चा निरस्तीकरण हेतु उचित कानूनी कार्रवाई करे।

इस आदेश की प्रति अंचलधिकारी बेड़ो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.04 23:39:17 -08:00
Location: 192.168.1.4